

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक:प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/22/512

दिनांक: 21/4/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सपठित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर निम्नांकित द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं को एतद्वारा नगर परिषद घोषित किया जाता है, यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी:-

| क.सं. | वर्तमान नगरपालिका | परिवर्तित नगर परिषद |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | नगरपालिका कोटपूतली जिला जयपुर | नगर परिषद कोटपूतली जिला जयपुर |
| 2. | नगरपालिका कुचामन सिटी जिला नागौर | नगर परिषद कुचामन सिटी जिला नागौर |

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हृदयेश कुमार शर्मा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 21/4/2022

क्रमांक:प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/22/513-560

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव/अतिरिक्त निदेशक निदेशालय।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर नागौर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
8. सभापति/अध्यक्ष, नगर परिषद/पालिका कोटपूतली/कुचामनसिटी।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, परिषद/पालिका कोटपूतली/कुचामनसिटी।
10. समस्त अधिकारी निदेशालय।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
13. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी